ikDdFku

1. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है जिसे, समय–समय पर यथा संशोधित, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए क अन्तर्गत किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। राज्य के सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों से शासित है।

3. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि वर्ष 2012–13 के दौरान किये गये नमूना लेखा परीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2012–13 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।